प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/संस्थागत/ समस्त शैक्षणिक संस्थान,
जनपद– नैनीताल।

पत्रांक–33669 स0क0/ छात्रवृत्ति /2023–24 दिनॉक 13अक्टूबर, 2023

विषयः– **समस्त पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्र/छात्राओं के बैंक खाता आधार नम्बर से लिंक कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक,महोदय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी द्वारा दिनॉक 10 अक्टूबर, 2023, को विडियो कान्फ्रैन्स में द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि विभाग द्वारा संचालित समस्त पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत कतिपय छात्र/छात्राओं के बैंक खातें आधार नम्बर से लिंक नही नही कराये गयें है। जिनमें कक्षा 12 से ऊपर 200 छात्र/छात्राऐं छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहें है।

उक्त वीडियों कान्फ्रैन्स में दिये गये निर्देशों के कम में अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बैंक खातों से आधार नम्बर लिंक नही हो पायें है। उन समस्त छात्र/छात्राओं के बैंक खातें आधार नम्बर से एक सप्ताह के भीतर लिंक किये जाने है। उक्त कतिपय छात्र/छात्राओं के बैंक खातों से आधार नम्बर लिंक होने के फलस्वरूप डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने के लिए सकिय (Active) नही है। जो बैंक से सकिय (Active) कराया जाना है। जिस कारण पात्र छात्र/छात्राऐं छात्रवृत्ति का ऑनलाईन P.F.M.S. के माध्यम से भुगतान हेतु प्रदर्शित नही हो रहें है। साथ ही यह भी अवगत कराया जाना है कि जिन छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर बैंक खाता से लिंक न होने पर भविष्य में भी छात्रवृत्ति का भुगतान होना सम्भव नही हो पायेगा।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सम्पर्क कर बैंक खाता आधार नम्बर से यथाशीघ्र लिंक करवातें हुए तथा बैंक खातों को डी0बी0टी0 हेतु संक्षम (ENABLE) करवाने हेतु शीघ्र–अतिशीघ्र उक्त सूचना इस कार्यालय की ईमेल आई0डी0 (**dswo.ntl@gmail.com**) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि किसी भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाता है,तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय/शिक्षण संस्थान/समबन्धित छात्र/छात्रा की होगी। कृपया प्रकरण पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना अपेक्षित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांकः /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1–जिलाधिकारी, महोदया, नैनीताल।
2–निदेशक,समाज कल्याण,उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल।
3–नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, समाज कल्याण, देहरादून।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल।